महत्वपूर्ण एवं खास

ओडिसा से लायी जा रही कच्ची महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्रशिक्षु डीएसपी जितेन्द्र कुमार चंद्रवंशी थाना प्रभारी सरिया एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 01/12/19 को मुखबिर सूचना पर आरोपी राजकुमार निषाद पिता जगतराम निषाद उम्र 30 वर्ष सा0 बडे नावापारा को ग्राम बडे नावापारा के नया पारा गली में कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़े। आरोपी द्वारा ओडिसा से दो जरकिन में कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री के लिये आया था जिससे 7.5 लिटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को पिलाया जहर मिला शराब,दो गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। तीन बच्चों की एक मां द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को शराब में जहर मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है । इस मामलें में पति की अस्पताल उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार खम्हारडीह थाना क्षेत्र में रहने वाले भीम यादव 10 नवंबर को शराब पीकर गंभीर अवस्था में अस्पताल मे भर्ती किया गया था। शार्ट पोस्टमार्टम रिर्पोट में इसका खुलासा था कि उसने जहर मिली शराब पी थी। इसकी शिकायत के बाद जांच कर रही पुलिस को पता चला कि मृतक भीम यादव को उसकी पत्नी ज्याति तथा उसके प्रेमी ने शराब मे जहर मिलाकर पिलाया था। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इस बात की पुष्टि नही की गई है। मामलें में पुलिस ने मृतक की पत्नी ज्योति यादव (30) के साथ उसके प्रेमी शिवा यादव को भी हिरासत में लिया है। कड़ाई से पुछताछ के बाद महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले अभी जांच पूरी नही हुई है, तथ्य और कुछ लोगों का बयान बचा है। जांच पूरी नहीं हुई है। फिलहाल संदेह के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज इस मामलें में खुलासा होने की उम्मीद है।

भारतीय वन सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय वन सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारी आरबीपी सिन्हा और संजय शुक्ला को प्रमोट करते हुए अपर प्रधान मुख्य संरक्षक से प्रधान मुख्य संरक्षक बनाया गया हैं। सरकार द्वारा जारी प्रमोशन आर्डर में दोनों ही अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना में ही प्रमोशन दिया गया है। पिछले दिनों भूपेश कैबिनेट ने पीसीसीएफ के दो पदों को मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद राज्य शासन ने प्रमोशन आर्डर जारी कर दिया है। अब वन मुख्यालय में चार की जगह छह पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी हो गए है। 1986 बैच के आईएफ्एस आरबीपी सिन्हा को सरकार ने रिटायरमेंट के ठीक पहले प्रमोट किया है। वहीं 1987 बैच के अधिकारी संजय शुक्ला को प्रमोशन के बाद लघु वनोपज संघ पीसीसीएफकम एमडी का जिम्मा सौंपा गया है।

अधेड़ की हादसे में मौत

कोरबा (आरएनएस)। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक अधेड़ को सुबह जिला अस्पताल लाया गया। जिसे देखते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर पटना निवासी नवीजॉन उम्र 55 हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर पड़ा हुआ था। जिसे डायल 112 की टीम द्वारा सुबह जिला अस्पताल लाकर दाखिल कराया गया। यहां उसे देखते ही चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के वार्ड ब्वाय द्वारा सूचना दिए जाने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर दिया। अस्पताल चौकी प्रभारी भेषदास महंत ने बताया कि मृतक के शव को मर्च्युरी में रखवा दिया गया है। इसके अलावा उसके परिजनों को सूचना उनके द्वारा दे दी गई है। मृतक के परिजनों के आने के बाद उनकी मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शव को पीएम के लिए चीरघर भिजवा दिया जाएगा। मृतक कहां और कैसे घायल हुआ था, इसकी भी तहकीकात की जा रही है।

नवविवाहिता की बंद कमरे अंदर संदिग्ध हालत में मिली लाश

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी पूंजीपथरा को दिनांक 01.12.19 को गेरवानी किराए मकान में रहने वाले ओम प्रकाश यादव के मकान अंदर उसकी पत्नी हेमलता यादव उम्र 24 साल का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुआ। मृतिका नवविवाहिता होने से कार्यपालिक दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया बाद शव को पीएम हेतु जिला अस्पताल रायगढ़ भेजा गया है।

घटना के संबंध में मृतिका की बहन सूचनाकर्ता श्रीमती प्रेमलता यादव उम्र 28 साल निवासी सारागांव जिला जांजगीर चांपा बताई कि मृतिका इसकी छोटी बहन है। मृतिका की शादी वर्ष 2016 में ओमप्रकाश यादव पिता साधराम यादव निवासी लच्छपनपुर जिला जांजगीर चाम्पा् के साथ हुई थी। इनकी एक 3 साल की पुत्री है। ओम प्रकाश यादव लगभग 1 साल से गेरवानी में रामफल अग्रवाल के मकान में किराए पर रहकर सिंघल फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर रहा है। विवाह के बाद से ही ओमप्रकाश बेरोजगार था। करीब 1 साल पहले ओम प्रकाश अपने गांव लच्छनपुर चांपा में परिवार के साथ रह रहा था। वहां अपनी पत्नी, बच्ची को छोड़ कर अकेले गेरवानी आकर गार्ड का काम करता था। करीब डेढ़ माह पहले अपनी पत्नी हेमलता यादव व बच्ची को लेकर गेरवानी आकर किराया मकान में रहा रहा था। आज सुबह ओमप्रकाश अपने ससुर को फोन कर बताया कि हेमलता का तबीयत ठीक नहीं है। तब हेमलता के पिता ने अपनी बेटी प्रेमलता को रायगढ़ गेरवानी जाकर देखने को बोले तब प्रेमलता अपनी छोटी बहन के किराए मकान पर आई तो देखी कमरे का दरवाजा बाहर से ताला बंद था। तब पड़ोसी तथा मकान मालकिन को बताकर ताला तोड़वाई और अंदर जाकर देखी तो प्रेमलता जमीन पर मृत पड़ी थी, नाक से झाग पानी निकला हुआ था। ताला बाहर से बंद कर ओम प्रकाश यादव अपनी लड़की को लेकर कहीं चले जाने पर इन्हें शंका है कि उसकी बहन की हत्या की गई है फिलहाल पूंजीपथरा पुलिस द्वारा घटना को मार्ग जांच में लिया गया है। मृतिका का पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है, पीएम रिपोर्ट प्राप्ति एवं जांच में आए साक्ष्य अनुरूप अग्रिम विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

दूसरे के जमीन दिखाकर साढ़े सात लाख ठगने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा में ग्राम सिंगमौजा कुडुमकेला निवासी कुलदीप मांझी पिता घसिया राम द्वारा दिनांक 10.04.2019 को ग्राम रूमकेरा के रहने वाले जगतराम मांझी, भागीरथी मांझी, ज्ञानदास महंत द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन दिया गया था।

पीडित के आवेदन अनुसार वर्ष 2011- 12 में स्श्वष्टरु द्वारा इसके गांव एवं आसपास के गांव में जमीन के अधिग्रहण का मुआवजा वितरण कराया गया था। तब माह अक्टुबर- नवम्बर 2012 में गांव के रामसाय के साथ मिलकर कोटरीमाल के एक किसान उजित राम राठिया के जमीन को रूमकेरा के जगत राम मांझी, भागीरथी मांझी एवं ज्ञान दास के मार्फत खरीदने के लिए सौदा तय किये। तब जगत राम मांझी, ज्ञान दास, भागीरथी को एक मुस्त 20,50,000 रू. दिये थे। कागजात पेपर बनवाते समय पटवारी से जमीन के संबंध में पूछे तब अनावेदको द्वारा बताये जमीन को छोडकर जंगल किनारे के जमीन को खरीद रहे हो बताये। तब दोनों ने जगत राम को जमीन नही खरीदेंगे बोले और पैसा लौटाने को बोले। उस समय अनावेदको द्वारा सन् 2013 में इन्हें 13,00,000 रू. लौटाये और 7,50,000 रू. को धीरे धीरे लौटायेगें बोले परन्तु उन्हे कई बार पैसे मांगने पर आनी कानी करते हुए 7,50,000 रू. को धोखाधडी कर हडप लिये थे। थाना घरघोड़ा में आवेदन पर से तीनों के विरूद्ध अप.क्र. 70/19 धारा 420,34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपीगण फरार थे जिन्हें आज मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर गिरफ्तार आरोपी (1) जगत राम मांझी पिता मोहन दास महंत उम्र 39 साल (2) भागीरथी मांझी पिता रवि मांझी 38 साल (3) ज्ञान दास महंत पिता मोहन दास महंत 39 साल सभी ग्राम रूमकेरा थाना घरघोड़ा को रिमांड पर भेजा गया है।

युवती छेड़खानी छेड़कानी, अपराधी युवक गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में युवती द्वारा दिनांक 01.12.19 को राकेश कुमार कुर्रे निवासी सारंगढ़ के विरूद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करायी है। युवती ने बताया कि राकेश कुमार कुर्रे पिता गोविन्द राम कुर्रे हमेशा देखकर गंदे-गंदे इशारा करता था जिसे देखकर भी अनदेखा कर दे रही थी। कल दिनांक 30.11.2019 को सुबह करीबन सुबह 7 बजे घर के बाहर खडी थी। तब राकेश कुर्रे देखकर

अश्लील बयानबाजी करने लगा जिसे मना की तो वह बेईज्जती करने की नियत से जबरजस्ती हाथ बांह पकडकर अश्लील हरकते कर छेडछाड किया। युवती चिल्लाई तो राकेश कुर्रे भाग गया। घटना की रिपोर्ट थाना सारंगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरूद्ध धारा 354 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के साथ भाजपा सरकार ने की धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर से की गई रजिस्ट्रियां-विनोद तिवारी

» मामला गरियाबंद में कमार भुजिया प्राधिकरण द्वारा फिजुलखर्ची का

रायपुर (आरएनएस)। कमार भुजिया विकास प्राधिकरण गरियाबंद में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों एवं जिला प्रशासन की मिली भगत से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के साथ भाजपा सरकार ने फर्जी हस्ताक्षर करवाकर धोखाधड़ी की। कृषि भूमि के नाम पर धोखा दे बड़े झाड़ के जंगल को नियम विरूद्ध पंजीकृत किया। 202 रजिस्ट्री में से 170 रजिस्ट्री नियम विरूद्ध बिना नक्शा-खसरा बी-1 के की गई उक्त आरोप तत्कालीन भाजपा सरकार पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव विनोद तिवारी ने प्रेसक्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में लगाया। तिवारी ने पत्रकारवार्ता में बताया कि 24 रजिस्ट्रियों में स्टाम्प पेपर नहीं लगाए गए हैं। जिन आदिवासियों से जमीन खरीदी गई थी उनसे भी धोखाधड़ी कर पूरा पैसा नहीं दिया गया। तात्कालिक भूमि की कीमत जिसका अधिकतम मूल्य उस समय दस हजार के लगभग था उसे 5 गुना अधिक बताकर सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया गया है।

डेंगू की रोकथाम के लिये संजय मार्केट में चलाया गया सघन अभियान

» हर रविवार डेंगू पर हो ही वार, अभियान के तहत हुई नालियों की साफ -सफाई » नालियों के ऊपर लगे पसरा एवं ठेला को जब्त किया गया

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में %हर रविवार डेंगू पर हो ही वार % अभियान के तहत आज नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने डेंगू की रोकथाम के लिए नालियों की सफाई करवाई एवं मोबिल ऑइल का छिड़काव किया।

संजय मार्केट क्षेत्र में प्रतिदिन सब्जियों की दुकानें लगती हैं। यह क्षेत्र सबसे ज्यादा डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है, जिसे चिन्हांकित किया गया है और जहां अभियान चलाकर नालियों की

साफ-सफाई की गई एवं टेमिफॉस की दवा का वितरण किया गया। मच्छर के लार्वा न पनपे, इसके लिये सावधानी बरतने के लिये लोगों को जागरूक किया गया। दुकानदारों को बताया गया कि सड़ी-गली सब्जियां नालियों में न डालें, जिसकी वजह से सफाई में दिक्कत होती है।

इस दौरान नगर निगम आयुक्त गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए नालियों के ऊपर लगे पसरा एवं ठेला को जब्त किया। इस अवसर पर उपायुक्त पंकज मित्तल एवं नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नदी में डूबने से स्कूली बच्चों की मौत मामला : स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सौंपा 16-16 लाख का चेक

» विधायक विकास उपाध्याय के बंगले में सौंपा गया चेक

रायपुर (आरएनएस)। दो दिन पूर्व महानदी में डूबने से भारत माता स्कूल के दो की मौत मामले में प्रबंधन ने परिजनों को 16-16 लाख का चेक सौंपा। मृत छात्रों के परिजनों को मुआवजा राशि दिलाने मे विधायक विकास उपाध्याय का सहयोग रहा। विधायक विकास उपाध्याय की उपस्थिति में उनके के बंगले में ही स्कूल प्रबंधक ने परिजनों को चेक दिया गया।

गौरतलब है कि रविवार सुबह भारत माता स्कूल प्रबंधन और परिजनों की बैठक हुई। जिसमें तय हुआ कि 16-16 लाख का मुआवजा परिजनों को दिया जाएगा। यह बैठक प्रशासनिक अफ्सरों की मौजूदगी में हुई। परिजनों और प्रशासन का दबाव बढ़ने पर प्रबंधन मुआवजा देने पर सहमत हुए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इस तरह की लापरवाही हुई तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

ज्ञात हो कि शनिवार को भारत माता हायर सेकंडरी स्कूल रायपुर के 170 बच्चे पिकनिक मनाने सिरपुर गए थे। गंधेश्वर महादेव दर्शन के पहले बच्चे महानदी में नहाने चले गए, इस दौरान दो बच्चे अमन शुक्ला पिता प्रदीप शुक्ला (14 वर्ष) कक्षा 9वीं और खुशदीप पिता हरदीप संधू गहराई में चले गए। और जब तक स्कूल स्टॉफ को इसकी जानकारी मिलती तब तक दोनों बच्चे डूब चुके थे। शिक्षकों की सहायता से बच्चों को बाहर निकाला गया। बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव लाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480